न्यायालय श्रीमान् [illegible] अधिकारी महोदय भोपाल

[Court fee stamp: COURT FEE, भारत INDIA, बीस रुपये TWENTY RUPEES, 20 Rs.]

R-1956-II/12

प्रवीणकुमार वल्द कोमलप्रसाद उर्फ रमेशचन्द्र
धंधा – कास्तकारी निवासी कमिश्नर ऑफिस
के बगल में कोठीबाजार होशंगाबाद तहसील
व जिला होशंगाबाद (म०प्र०) ------ पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

मनोहरलाल दुबे आत्मज श्री दुर्गाप्रसाद दुबे निवासी खड़ली
तहसील रेहटी जिला ~~रायसेन~~ सीहोर ------ उत्तरवादी

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू०राजस्व संहिता

श्री अजय तिवारी अधि. द्वारा दिनांक 14-6-12 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत

14-6-12

256-2011

पुनरीक्षणकर्ता निम्नानुसार निवेदन करता है :-

* यह कि पुनरीक्षणकर्ता यह पुनरीक्षण निम्न न्यायालय प्रथम अपीलीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 16-3-12 प्र०क्र० 47/अपील/10-11 पक्षकार मनोहरलाल विरुद्ध प्रवीणकुमार से क्षुब्ध व दुखित होकर यह पुनरीक्षण याचिका निम्न आधारों एवं तथ्यों पर प्रस्तुत करता है ।

— 2 —

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि उत्तरवादी ने तहसीलदार रेहटी महोदय के समक्ष भूमि खसरा नंबर 84/1 रकबा 6.77 एकड़ मौजा खड़ली तहसील रेहटी पर वर्ष 2010-11 को कब्जा करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था । उक्त आवेदन माननीय निम्न न्यायालय तहसीलदार महोदय रेहटी द्वारा दिनांक 12.5.11 को कब्जा दर्ज न करने की अधिकारिता न होने के [illegible] किया गया । माननीय निम्न न्यायालय का प्रथम अपी

(100)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/1956/II/12, सीहोर प्रवीण कुमार/मनोहरलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18/01/19	आवेदक की ओर से श्री अजय तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बुदनी के प्रकरण क्रमांक 47/अपील/10-11 में पारित आदेश दिनांक 16/03/12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सीहोर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 23/4/19 को कलेक्टर जिला सीहोर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	